



सत्यमेव जयते

Case No. 46/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-4247/JH/14/2025-RU-IV

श्री शशि रंजन

उपायुक्त,

जिला - पलामू,

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त कार्यालय,

नया समाहरणालय, मेदिनीनगर, पलामू, झारखंड 822101

Email Id: dc-pal@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **16/05/2025** को **02:20 P.M** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1

(i) पलामू जिले (झारखंड) में स्थित चैरो जनजाति की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में अनुरोध - श्री अर्जुन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय चैरो जनजाति महासंघ, ग्राम-चुकरू, पोस्ट-सुआ, थाना-सदर मेदिनी नगर, जिला पलामू (झारखंड) एवं 03 अन्यो का दिनांक 17.09.2024 एवं विभिन्न तिथियों के पत्र

(ii) आयोग का नोटिस दिनांक 20.02.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **01/05/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर



Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/DEV-4247/JH/14/2025-RU-IV

दिनांक :01.05.2025

सेवा मे

श्री अर्जुन सिंह,
प्रदेश अध्यक्ष,
राष्ट्रीय चेतो जनजाति महासंघ,
ग्राम-चुकरू,
पोस्ट-सुआ,
थाना-सदर मेदिनी नगर,
जिला पलामू (झारखंड)
Mobile No:6207819003

श्री दीपक कुमार सिंह,
ग्राम-दुबा, पोस्च-चान्दों,
थाना-चैनपुर,
जिला-पलामू-822110

श्री राजगोविंद सिंह चेतो,
ग्राम-नावा चुनका,
पोस्ट व थाना-मतातू
जिला-पलामू
मोबाइल: 9534076339

श्री मिथलेश उराँव,
अध्यक्ष,
अदि कुडुख सरना
समाज,
जिला-पलामू
मोबाइल: 9852264956
तथा 9123411528

विषय : पलामू जिले में स्थित चेतो जनजाति की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में (झारखंड)

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **16.05.2025 समय 02:20 P.M** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading